

ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान किया गया है

• जीवाश्म ईंधन चरण-आउट:

- सभी जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के लिए मसौदा पाठ में अभूतपूर्व समावेश।
- तात्कालिकता को दर्शाता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 80% योगदान देता है।
- **चुनौतियाँ और प्रभाव:**
 - प्रमुख देशों में आर्थिक महत्व के कारण कोयले पर पिछली वार्ता में गतिरोध का सामना करना पड़ा।
 - मेजबान देश का तेल से संबंध जीएसटी में भाषा को प्रभावित करता है।
- **जीएसटी उद्देश्य:**
 - पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करें और तापमान वृद्धि को सीमित करें।
 - उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताओं को अद्यतन करने में देशों का मार्गदर्शन करें।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता लक्ष्य:**
 - 2030 तक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता में सुधार का प्रस्ताव।
 - कोयला उपयोग चेतवनी के कारण भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये।
- **सतत जीवन शैली:**
 - टिकाऊ उपभोग पैटर्न में बदलाव पर जोर।
- **विवाद और आलोचनाएँ:**
 - ड्राफ्ट में पूर्ण जीवाश्म ईंधन चरण-आउट जैसे विवादित तत्व शामिल हैं।
 - आलोचक कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रोडमैप की कमी का हवाला देते हैं।

एक दशक में ग्लेशियर प्रति वर्ष 1 मीटर सिकुड़े: WMO

दशक का अवलोकन (2011-2020):

- रिकॉर्ड पर सबसे गर्म लेकिन बेहतर प्रारंभिक चेतवनी प्रणालियों और आपदा प्रबंधन के कारण चरम घटनाओं से मौतों की सबसे कम संख्या देखी गई।
- सकारात्मक परिवर्तन:
 - भारत में चक्रवात के पूर्वानुमान में सुधार से बेहतर तैयारी और निकासी हुई।
 - दशक में 10,000 या उससे अधिक मौतों वाली एक भी घटना नहीं हुई।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - दुनिया भर में ग्लेशियर प्रति वर्ष औसतन 1 मीटर पतले हो रहे हैं।
 - ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पिछले दशक की तुलना में 38% अधिक बर्फ गिरी

• ओजोन छिद्र में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखे।

• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

- मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से जोखिम बढ़ा दिया है।
- हीटवेव के कारण सबसे अधिक संख्या में लोग हताहत हुए, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुई।
- **जलवायु वित्त:**
 - सार्वजनिक और निजी जलवायु वित्त लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने सहित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दशक के अंत तक इसे सात गुना बढ़ाने की जरूरत है।

Honest reckoning

🌍 वैश्विक जलवायु चर्चाएँ:

- 🌡️ तापमान सीमा: वैश्विक तापमान वृद्धि पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस की वर्तमान वृद्धि के साथ इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को पार कर चुकी है। दुबई जलवायु शिखर सम्मेलन में ध्यान अतिरिक्त आधे डिग्री की वृद्धि को सीमित करने पर है।
- 🌱 **नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकता:** ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 11,000 गीगावॉट के बराबर तीन गुना अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता है।
- 🌐 **वैश्विक सहमति:** जी-20 में नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के महत्व पर जोर दिया गया। जबकि 118 देशों ने घोषणा का समर्थन किया, भारत और चीन ने इसका समर्थन करने से परहेज किया।
- 💡 **नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा:** मसौदा पाठ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, भारत कोयले से चलने वाले संयंत्रों पर भारी निर्भरता के कारण कोयले को छोड़ना एक प्रमुख लाल रेखा मानता है।

भारत का रुख और लक्ष्य: भारत 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 500 गीगावॉट करने के लक्ष्य के साथ खुद को एक नवीकरणीय ऊर्जा चैंपियन के रूप में रखता है। हालांकि, भारत कोयले के रूप में कुछ ईंधन, विशेष रूप से कोयले को छोड़ने के लिए मजबूर होने के लिए अनिच्छुक है। जलाए गए संयंत्र देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 70% योगदान करते हैं।

- **अमेरिकी प्रतिबद्धता:** संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ऊर्जा के लगभग 20% के लिए केवल कोयले पर निर्भर होने के बावजूद, 2035 तक ऊर्जा उपयोग के लिए कोयले का त्याग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा तेल और गैस से आता है, और 2030 में उत्पादन बढ़ाने की योजना है।

- **वैश्विक प्रतिबद्धताएं और वास्तविकताएं:** जबकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध हैं, मौजूदा और भविष्य की जीवाश्म ईंधन क्षमताओं को बदलने के लिए ठोस योजनाओं की कमी है। जीवाश्म ईंधन क्षमताओं को वास्तव में स्वच्छ ऊर्जा से बदलने के लिए एक ईमानदार प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

सामाजिक न्याय नीतियों पर पुनर्विचार में अम्बेडकर का प्रभाव

अम्बेडकर का दृष्टिकोण और समसामयिक चुनौतियाँ:

• लोकतांत्रिक मूल्य:

- आधुनिक लोकतंत्र का लक्ष्य सामाजिक सद्भाव, सम्मान और आत्म-सम्मान है, खासकर दलितों और आदिवासियों जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए।
- लोकतांत्रिक संस्थानों से आग्रह किया जाता है कि वे राजनीतिक मामलों के संचालन में सबसे खराब स्थिति वाले सामाजिक समूहों को शामिल करें।

समसामयिक परिदृश्य और नव-उदारवाद:

• सांकेतिक उपस्थिति:

- सामाजिक अभिजात वर्ग राष्ट्रीय नेताओं, बिजनेस टाइकून और सांस्कृतिक प्रभावकों के रूप में हावी हैं।
- हाशिए पर रहने वाले समूहों को सत्ता और विशेषाधिकारों में सांकेतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

नव-उदारवाद का प्रभाव:

- नव-उदारवादी आर्थिक विकास दलितों और आदिवासियों के लिए पारंपरिक राज्य समर्थन को बाधित करता है।
- सामाजिक न्याय नीतियों का हाशिए पर मौजूद समूहों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

अम्बेडकर की प्रासंगिकता और नैतिक सुधार:

• अम्बेडकर का नैतिक दृष्टिकोण:

- लोकतांत्रिक संस्थानों को अधिक समावेशी और हाशिए पर मौजूद समूहों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए नैतिक सुधार प्रदान करता है।
- विभिन्न आबादी के लिए संस्थानों में नैतिक संवेदनाओं पर जोर देता है।

नव-उदारवादी बाज़ार और नैतिक मूल्य:

• बाज़ार का नैतिकता से अलगाव:

- नव-उदारवादी बाजार सामाजिक जिम्मेदारियों से दूरी बनाकर विशेष कॉर्पोरेट नियंत्रण का जश्न मनाते हैं।
- दलितों और आदिवासियों की आकांक्षाओं और मांगों की उपेक्षा करता है, जिससे शोषणकारी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है।

सामाजिक न्याय नीतियों की पुनर्कल्पना:

• सीमांत समूहों को शामिल करना:

- श्रमिक वर्ग को लोकतांत्रिक बनाने और गरीबी कम करने के लिए सामाजिक न्याय नीतियों को निजी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- दलितों और आदिवासियों को पूंजीवादी परिसंपत्तियों के भीतर प्रभावशाली पदों पर पहुंचाना।

• आदिवासी चिंताओं को संबोधित करना:

- बाजार अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए आवास, पारिस्थितिक व्यवस्था और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना।

सशक्तिकरण और आर्थिक एकीकरण:

• परिवर्तनकारी नीतियाँ:

- दलितों और आदिवासियों को आर्थिक क्षेत्र में नेता, उद्यमी और प्रभावशाली व्यक्ति बनने में सक्षम बनाना।
- निष्क्रिय कल्याण प्राप्तकर्ताओं से शहरीकरण, औद्योगिक उत्पादन और तकनीकी नवाचारों में सक्रिय प्रतिभागियों पर ध्यान केंद्रित करना।

• समावेशी पूंजीवाद:

- बड़े व्यवसायों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अधिक सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर जोर देना, जिससे दलित-आदिवासी वर्ग उद्योगपतियों और बाजार के नेताओं के रूप में उभर सके।

राज्य और सामाजिक न्याय की भूमिका:

• राज्य की जिम्मेदारियाँ:

- अम्बेडकर ने राज्य को दलित और आदिवासी मुक्ति के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखा।
- नव-उदारवादी संदर्भ में, राज्य सामाजिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हुए बड़े व्यवसायों के साथ जुड़ जाता है।

• पूंजीवाद को पुनः परिभाषित करना:

- अम्बेडकर की सामाजिक न्याय दृष्टि का उद्देश्य पूंजीवाद को हाशिए पर मौजूद समूहों को शामिल करते हुए एक सहकारी आर्थिक व्यवस्था के रूप में फिर से परिभाषित करना है।
- सबसे खराब स्थिति वाले सामाजिक समूहों के लिए आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बनने के लिए बाजार के नेताओं को कल्याणकारी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता:

-  उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत INC (अंतर्राष्ट्रीय वार्ता समिति) का उद्देश्य दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने और समाप्त करने के लिए 2025 तक एक बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि विकसित करना है।
-  **जीरो ड्राफ्ट:** नैरोबी में आयोजित आईएनसी-3, 'जीरो ड्राफ्ट' पाठ पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्य दायित्वों और नियंत्रण उपायों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए मजबूत विकल्प शामिल थे।

उद्योग का प्रभाव और दायित्वों का कमजोर होना:

-  उद्योग की उपस्थिति: INC-3 में उद्योग प्रतिनिधियों की उपस्थिति बढ़ी, जिससे प्लास्टिक उत्पादन को कम करने और उद्योग पर इसके प्रभाव पर चर्चा प्रभावित हुई।
-  **दायित्वों में कमी:** बातचीत के कारण प्राथमिक पॉलिमर उत्पादन, रसायन, समस्याग्रस्त प्लास्टिक, व्यापार और वित्तीय तंत्र के संबंध में मुख्य दायित्वों में कमी आई। इससे प्लास्टिक प्रदूषण को व्यापक रूप से संबोधित करने में संधि की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

वित्तीय तंत्र और व्यापार प्रतिबंध:

-  **वित्तीय तंत्र में चुनौतियाँ:** प्लास्टिक-प्रदूषण शुल्क और उच्च कार्बन-फुटप्रिंट परियोजनाओं के लिए वित्तीय निहितार्थ का सुझाव देने वाले प्रावधानों पर विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ देशों ने इन प्रावधानों का विरोध किया और इन्हें मसौदे से हटाने की मांग की।
-  **व्यापार प्रतिबंध विवाद:** राष्ट्रीय संप्रभुता और व्यापार पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण पॉलिमर, रसायन, प्लास्टिक उत्पादों और कचरे के व्यापार पर प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध था।

अफ्रीकी समूह और SIDS की भूमिका:

-  मजबूत प्रावधानों की वकालत: अफ्रीकी देशों और लघु-द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) ने मानवाधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए संधि में बाध्यकारी प्रावधानों की वकालत की। उन्होंने चर्चाओं के दौरान कचरा बीनने वालों और स्वदेशी लोगों की आवाज का भी समर्थन किया।

परिणाम और निहितार्थ:

-  गतिरोध और उद्योग प्रभाव: INC-3 कुछ सदस्य देशों द्वारा रुकावट के कारण वैश्विक प्लास्टिक संधि के पहले मसौदे को विकसित करने के लिए जनादेश को अपनाने में विफल रहा। इसने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक मजबूत बाध्यकारी संधि के खिलाफ उद्योग के महत्वपूर्ण प्रभाव और कुछ देशों के प्रतिरोध को उजागर किया।

निष्कर्ष और झटका:

-  प्रगति पर रुकावट का प्रभाव: INC-3 और INC-4 के बीच अंतर-सत्रीय कार्य के लिए आम सहमति की कमी संधि के लिए लक्ष्य और समयसीमा को परिभाषित करने में प्रगति को बाधित करती है। इससे एक मजबूत बाध्यकारी संधि के खिलाफ उद्योग के प्रभाव और विशिष्ट सदस्य देशों के विरोध की सीमा का भी पता चला।

यह समझना कि वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कैसे काम करता है

 **जीपीएस प्रभाव:** जीपीएस ने कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव डाला है, जिससे हमारे स्थान को समझने और नेविगेट करने के तरीके में बदलाव आया है। इसने नागरिक उपयोग, सैन्य अनुप्रयोगों, सटीक अध्ययन, शहरी नियोजन और बहुत कुछ में क्रांति ला दी है। 

 **दीक्षा और घटक:** जीपीएस की शुरुआत 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। इसमें तीन मुख्य खंड शामिल हैं: अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और उपयोगकर्ता खंड। 

 **अंतरिक्ष खंड:** जीपीएस के अंतरिक्ष खंड में छह कक्षाओं में घूम रहे 24 उपग्रहों का एक समूह शामिल है। यह कॉन्फिगरेशन वैश्विक कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे पृथ्वी पर कहीं भी सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। 

 **नियंत्रण खंड:** जीपीएस के नियंत्रण खंड में दुनिया भर में स्थित ग्राउंड-आधारित स्टेशन शामिल हैं। ये स्टेशन उपग्रह प्रदर्शन की देखरेख, सिस्टम मानकों को बनाए रखने और उपग्रहों को नियंत्रण आदेश प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। 

रिसीवर गणना: जीपीएस रिसीवर उपग्रहों द्वारा प्रेषित संकेतों को पकड़ते हैं और संसाधित करते हैं। कई उपग्रहों से सटीक दूरी की गणना करके, रिसीवर त्रिकोणासन कर सकता है और उपयोगकर्ता का सटीक स्थान निर्धारित कर सकता है। 📶

ईंधन वाहनों से ईवी की ओर स्थानांतरण - लाभ और चिंताएँ

ईंधन वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्थानांतरण

निजी वाहन की भीषण वृद्धि

2001 और 2019 के बीच भारत में निजी वाहनों की संख्या में 700% की वृद्धि हुई।

वार्षिक वृद्धि दर को 5% तक सीमित करने से 2030 तक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना

सार्वजनिक परिवहन भारत में केवल 35%, शहरी यात्राओं को पूरा करता है, जो सुधार की आवश्यकता पर बल देता है।

पारगमन दक्षता बढ़ाने से शहरी परिवहन उत्सर्जन में 30% की कमी हो सकती है।

वाहन ईंधन दक्षता बढ़ाना

भारत ने 2030 तक ईंधन दक्षता मानकों में 30%, सुधार का प्रस्ताव दिया है।

वाहन दक्षता में प्रत्येक 10% वृद्धि से वैश्विक स्तर पर प्रति दिन 2.4 मिलियन बैल तेल बचाया जा सकता है।

सीमित व्यवहार्य विकल्प

जैव ईंधन और हाइड्रोजन के साथ चुनौतियाँ

जैव ईंधन उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है, लेकिन उनके उत्पादन के लिए व्यापक भूमि उपयोग की आवश्यकता होती है।

नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न हाइड्रोजन संभावित रूप से CO2 उत्सर्जन को 60-90% तक कम कर सकता है।

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) चुनौतियाँ

प्रारंभिक लागत: वर्तमान में बीईवी की लागत आंतरिक दहन वाहनों की तुलना में 30-40% अधिक है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत को बीईवी को सपोर्ट करने के लिए 2030 तक 2.5 मिलियन चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता है।

वित्तीय सम्भावनाएँ

सब्सिडी और वित्तीय तथ्य

FAME II, भारत का EV सब्सिडी कार्यक्रम, 55,000 कारों और 5,500 इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन करता है।

ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ₹40,000 - ₹50,000 क्रेडिट के अनुमानित परिषय के साथ प्रस्तावित FAME III।

कर राजस्व में कमी

ईवी पर जीएसटी छूट के कारण भारत के कर राजस्व में वार्षिक हानि ₹4,000 करोड़ है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और वैट उनके खुदरा मूल्य का 50% योगदान देता है, जिससे कर राजस्व प्रभावित होता है।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव

नौकरियों और कर राजस्व पर प्रभाव

बीईवी की तुलना में पारंपरिक वाहन अपने जीवनकाल में प्रति वाहन 6 गुना अधिक कर राजस्व उत्पन्न करते हैं।

कम श्रम तीव्रता के कारण ईवी अपनाने से 40-60% कम रोजगार सृजन हो सकता है।

रणनीतिक योजना की आवश्यकता

राजकोषीय चुनौतियों को संतुलित करना

ऐसी नीतियाँ बनाना जो सब्सिडी पर अधिक भरोसा किए बिना राजस्व घाटे की भरपाई करें।

ईवी सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित प्रोत्साहन संरचना लागू करना।

विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी विनिर्माण जैसे सहायक ईवी उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार सृजन की योजना।

पारंपरिक ऑटोमोटिव क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में कमी के कारण संभावित आर्थिक असंतुलन को संतुलित करना।

Source Article : Businessline